



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 108 राँची, बुधवार,

10 फरवरी, 2021 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

#### संकल्प

25 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-96/2018-778 (HRMS)-- मो० जफर हसनात, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-दुमका), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चांडिल-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, कुकडू के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-106/स्था०, दिनांक-15.02.2018 द्वारा दिनांक-07.02.2018 से दिनांक-12.02.2018 तक का अवकाश आवेदन बिना स्वीकृति कराये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6308, दिनांक 21.08.2018 द्वारा मो० हसनात से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में मो० हसनात ने अपने पत्र, दिनांक 16.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि-

(क) वे हृदय रोग से ग्रसित हैं। दिनांक 05.02.2018 को कार्यालय अवधि में छाती में अचानक हल्का दर्द एवं बेचैनी होने के कारण उनके द्वारा उपायुक्त महोदय को अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित कर अवकाश पर प्रस्थान किया गया।

(ख) दुमका में जाँचोपरांत उन्हें दिनांक 07.02.2018 से 28.02.2018 तक चिकित्सक की देख-रेख में रखा गया। दिनांक 01.03.2018 को स्वस्थ होने पर उनके द्वारा पुनः अपने दायित्वों का प्रभार ग्रहण किया गया।

(ग) अवकाश से लौटकर उनके द्वारा उपायुक्त महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपने उपार्जित अवकाश का आवेदन उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के माध्यम से आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को स्वीकृति हेतु भेजा गया एवं प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल द्वारा अधिसूचना जापांक-295, दिनांक 27.02.2019 द्वारा उन्हें दिनांक 07.02.2018 से 28.02.2018 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

मो० हसनात के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3593, दिनांक 24.06.2020 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-492/स्था०, दिनांक 09.10.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा अपने मंतव्य में श्री हसनात द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

मो० हसनात के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, मो० जफर हसनात, झा०प्र०से०, कार्यपालक दण्डाधिकारी, चांडिल-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, कुकडू को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.     | Decision of the Competent authority                                                                    |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                               | 3                                                                                                      |
| 1      | MD. JAFAR HASNAT<br>JHK/JAS/312 | मो० जफर हसनात, झा०प्र०से०, कार्यपालक दण्डाधिकारी, चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ को आरोप मुक्त किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----